



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु (चूरु)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार-। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2024/71

दर्ज दिनांक : 12.07.2024

1. रणसिंह पुत्र श्री काशीराम निवासी दुधवाखारा उप तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)

-वादी-

बनाम

1. सुभाषचन्द्र पुत्र स्व. भगवानसिंह जाति जाट निवासी दुधवाखारा हाल निवासी वार्ड नम्बर 33 पानी की टंकी के पास पुनिया कॉलोनी चूरु (राज.)
2. (डिलिट) कृष्णा पुत्री स्व. भगवानसिंह जाति जाट निवासी दुधवाखारा उप तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)
3. इन्द्रचन्द्र पुत्र स्व. लादूराम जाति जाट निवासी दुधवाखारा उप तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)
4. जगदीश पुत्र स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी दुधवाखारा उप तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)
5. ताराचन्द्र पुत्र स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी दुधवाखारा उप तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)
6. (फौत) चन्दा पत्नी स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी दुधवाखारा उप तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)
7. दुर्गा पुत्री स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी दुधवाखारा उप तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)
8. मोहनी पुत्री स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी दुधवाखारा उप तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)
9. विनोद पुत्री स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी दुधवाखारा उप तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)
10. सजन पुत्र स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी दुधवाखारा उप तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)
11. सन्तोष पुत्री स्व. नारायणराम जाति जाट निवासी दुधवाखारा उप तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)
12. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)
13. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा चूरु तहसील व जिला चूरु (राज.)
14. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप-तहसील दुधवाखारा जिला चूरु (राज.)

-प्रतिवादीगण-



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

--:पर्चा डिक्री:-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री नरेन्द्र सिहाग एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व श्री जितेन्द्र पूनियां, अभिषेक सिहाग प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वा डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि ख.नं. 919, 904 रोही दुधवाखारा का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाता व लगान अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	ख.नं.	रकबा है.	किस्म
1.	सुभाषचन्द्र पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी दूधवाखारा खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा दुधवा खारा	904 मी.	1.7139 2.	बारानी
		919 मी.	5234	बारानी
		किता-2	4.2373	बारानी
2.	रणसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवास दूधवाखारा खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा दुधवा खारा	904 मी.	0.8569 0.	बारानी
		904 मी.	8570	बारानी
		904 मी.	2.5234	बारानी
		किता-3	4.2373	बारानी
3.	इन्द्रचंद पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी दूधवाखारा राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा दुधवा खारा	904 मी.	1.7139	बारानी
		919 मी.	2.5234	बारानी
		किता-2	4.2373	बारानी
4.	जगदीश, ताराचन्द, सजन पि. नारायणराम 3/8 हिस्सा राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा दुधवाखारा चन्दादेवी पत्नी नारायणराम दुर्गा, मोहनी, विनो, सन्तोष पुत्रिया नारायणराम ब.हि.ब. 5/8 हिस्सा जाति जाट निवासी दूधवाखारा	904 मी.	1.7139	बारानी
		919 मी.	2.5234	बारानी
		किता-2	4.2373	बारानी
5.	सुभाषचन्द्र पुत्र भगवानसिंह, रणसिंह पुत्र काशीराम, इन्द्रचन्द पुत्र लादूराम ब.हि.ब. 3/4 हिस्सा चन्दादेवी पत्नी नारायणराम जगदीश, ताराचन्द, सजन, दुर्गा, विनोद मोहनी सन्तोष पिसरान नारायणराम ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा जाति जाट निवासी दूधवाखारा	904 मी.	0.1000	गै.मु रास्ता
		919मी.	0.1500	रास्ता
		किता-2	0.2500	रास्ता

जिन खातेदारों का हिस्सा बैंकों के रहन दर्ज है, वह यथावत् रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरु को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 10.11.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(सुनील कुमार- I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरु (चूरु)